प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि
चम्पावत

फार्म संख्या–

निविदा प्रपत्र का मूल्य 590.00 (मय जीएसटी)
वाहन निविदा वर्ष 2024–25

तकनीकी बिन्दु–1
चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, जूप पटवा चम्पावत।
पशुआहार निविदा (2024–25)

स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करें

1. पशुआहार..
2. मार्ग का नाम ....
3. निविदा दाता का नाम..
4. मोबाईल नम्बर..
5. स्थाई पता..
6. पत्र व्यवहार का पता..
7. आधार नम्बर..............................(आधारकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें)
8. पैनकार्ड न0..............................(पैन कार्ड की छायाप्रति संलग्न करें))

9.जमा अर्नेस्टमनी का विवरणः–
(अ)नगद रसीद संख्या..................(ब)दिनांक..................(स) धनराशि (रू0)..................
(द)बैंक का नाम.................. ड्रॉफ्ट संख्या..................

10.वाहन का विवरणः–
(क)वाहन का प्रकार..................(ख) मॉडल वर्ष..................
(ग)वाहन का पंजीकरण न0..................(घ) बीमे (संलग्न) की वैधता तिथि..................
(ड़) रोड टैक्स जमा की वैधता तिथि ....(च) परमिट (संलग्न) की वैधता तिथि..................
(छ) फिटनेस (संलग्न) की वैधता तिथि..................
(ज) गाड़ी की भार क्षमता (कुन्टल में)..................

(निविदा प्रपत्र का मू0 रू 590.00 मय जी0एस0टी0 सहित है। यदि निविदा प्रपत्र वैबसाईट से डाउनलोड किया गया है, तो निविदा प्रपत्र का मूल्य रू0 590.00 का बैंक ड्रॉफ्ट चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत के पक्ष में देय संलग्न करना अनिवार्य है।)

बैंक का नाम.................. बैंक ड्रॉफ्ट संख्या..................धनराशि..................
दिनॉक..................

मैंनें दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत द्वारा निविदा हेतु तय की गयी सभी शर्तों को भलि–भॉति पढ़ व समझ लिया है। मैं दुग्ध संघ चम्पावत के साथ उक्त शर्तों के अनुसार अनुबन्ध करने के लिए तैयार हूॅं। उर्पयुक्त प्रविष्टियॉ मेरे द्वारा स्वयं भरी/भरवायी है, जो कि मेरी जानकारी से पूर्णरूपेण सही है। यदि कोई भी सूचना गलत पायी जाती है तो संस्था को पूर्णरूपेण अधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में हुए अनुबन्ध को बिना किसी नोटिस के निरस्त कर दें।

शील्ड निविदा लिफाफे के बाहर ऊपर से जिस मार्ग हेतु निविदा डाली जा रही है, उसका नाम अवश्य अंकित किया जाये।

दिनांक–
स्थान–
मोबाइल नम्बर–
पूरा पता–

नाम–
हस्ताक्षर निविदादाता–

प्र.स्थेर

Scanned with OKEN Scanner

प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

फार्म संख्या– [ ]

वाहन निविदा वर्ष 2024–25
वित्तीय बिन्दु–2

चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0 चम्पावत जूप पटवा चम्पावत।
पशुआहार निविदा (2024–25)

स्वहस्ताक्षरित फोटो चस्पा करें

1. पशुआहार ....
2. मार्ग का नाम ....
3. निविदा दाता का नाम..
4 .वाहन का विवरणः–
(क)वाहन का प्रकार..(ख) मॉडलवर्ष............................
....
(ग)वाहन का पंजीकरण न0..
(घ)बीमे की वैधता तिथि..
5–निविदा दर पशुआहार –..
(शब्दों में..)
6.वाहन किराये की दरेंः–
(क)पशुआहार प्रति कुन्टल–रूद्रपुर से चम्पावत– (अंको में)....................(शब्दों में)..............................
(ख)पशुआहार प्रति कुन्टल–रूद्रपुर से किमतोली–(अंकों में)....................(शब्दों में)..............................
(ग)पशुआहार प्रति कुन्टल–रूद्रपुर से खेतीखान–(अंकों में)....................(शब्दों में)..............................
(घ)पशुआहार प्रति कुन्टल–रूद्रपुर से टनकपुर–(अंकों में)....................(शब्दों में)..............................

निविदादाता के हस्ताक्षर
नाम..
पूरा पता..
....
....

नोट–टैंकर कार्य हेतु वाहन की दरें प्रति लीटर में अंकित करें, उक्त के अतिरिक्त डाली गयी निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
जो लागू न हो उसे काट दें, अपरलेखन न करें।

प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

कार्यालय ,चम्पावत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत

पशुआहार, साईलेज, कॉम्पैक्ट फीड, कैल्शियम हेतु निविदा फार्म भरने हेतु दिशानिर्देश एवं शर्तें

1. निविदा प्रपत्र भरने से पूर्व प्रपत्र में दिये गये आवश्यक दिशानिर्देशों को ध्यान पूर्वक पढ़ कर ही साफ एवं शुद्ध भाषा में भरें।
2. एक निविदा प्रपत्र केवल एक मार्ग की निविदा हेतु मान्य होगा।
3. निविदा दो अलग–अलग लिफाफों में क्रमशः तकनीकी बिन्दु एवं वित्तीय बिन्दु को रखते हुए उन्हें एक बड़े लिफाफे के अन्दर रखकर डाली जाये। तकनीकी बिन्दु की सभी अर्हताएं पूर्ण होने पर ही वित्तीय बिन्दु का लिफाफा खोला जायेगा। किसी भी मार्ग के लिए तीन वैद्य निविदाएं होने पर ही निविदा मान्य होगी।
4. प्राप्त निविदा में 02 अथवा 02 से अधिक निविदायें समान दर की प्राप्त होने पर वर्तमान माडॅल के वाहन को प्राथमिकता दी जायेगी।
5. एक वाहन के प्रपत्र से एक ही मार्ग की निविदा स्वीकृत होगी। यदि दो मार्ग मे एक ही वाहन की निविदा न्यून पायी जायी जाती है तो दोनो मार्गो मे न्यूनतम दर मार्ग को स्वीकृत किया जायेगा तथा द्वितीय मार्ग की अर्नेस्ट मनी जब्त कर ली जायेगी।
6. लिफाफे के बाहर स्पष्ट शब्दों में **परिवहन हेतु निविदा मार्ग/प्रकार** का **नाम** एवं **निविदादाता का नाम** व पता स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिये।
7. निविदा फार्म में स्वप्रमाणित पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
8. निविदायें **प्रबन्धक, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत जूप पटवा चम्पावत,** के नाम से निविदा पेटी में दिनॉक 28 दिसम्बर 2024 को निविदायें 12:00 बजे तक प्राप्त की जा सकेंगी, जो कि उपरोक्तानुसार 12:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के सम्मुख मुख्य कार्यालय चम्पावत में खोली जायेंगी। रजिस्टर्ड डाक/कोरियर के माध्यम से उपरोक्त संबन्धित समस्त मार्गों की निविदायें दिनॉक 28 दिसम्बर 2024 को दोपहर 12:00 बजे तक दुग्ध संघ कार्यालय चम्पावत के पते पर ही स्वीकार की जायेगी। डाक वितरण में विलम्ब से प्राप्त निविदादाताओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. पशुआहार ढुलान हेतु वाहन का मॉडल वर्ष 2015 से कम नहीं होना चाहिए तथा वाहन अच्छी दशा में होना अनिवार्य है।
10. निविदा फार्म के साथ निविदादाता का आधार, पैन कार्ड, वाहन की आर0सी0, बीमा, परमिट एवं फिटनेस व टैक्स आदि के वैद्य प्रपत्र, संलग्न होने चाहिये अन्यथा निविदा फार्म निरस्त कर दी जायेगा।
11. वाहन निविदादाता के नाम पर पंजीकृत होना चाहिये। पावर ऑफ अर्टनी मान्य नहीं होगी।
12. निविदा फार्म के साथ निंविदा फार्म में उल्लेखित वाहन का विवरण के अनुसार वैध दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां एवं वाहन हेतु **रू0 5,000.00 (पॉच हजार रूपया)** बतौर अर्नेस्ट मनी की जमा रसीद की मूल प्रति/छायाप्रति या डी0डी जो इस संस्था के नाम देय हो मूल रूप से संलग्न करना अनिवार्य होगा। अर्नस्टमनी निविदा पूर्ण होने अथवा एक माह उपरान्त ही प्रदान की जायेगी।

प्र.स्थेर

प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
चम्पावत

13. यदि वाहन का माडल वर्ष में (A/F) अंकित किया जाता है, तो ऐसी निविदादाता को वाहन क्रय रसीद संलग्न करना आवश्यक होगा।
14. एक अर्नेस्ट मनी से एक निविदा ही भरी जायेगी। एक अर्नेस्ट मनी राशि से एक से अधिक निविदायें भरी जाने पर समस्त सम्बन्धित निविदायें स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
15. दुग्ध संघ से पूर्व मे किसी प्रकार से विवाद करने वाले, अथवा दुग्ध संघ की छवि धूमिल करने वाले, चोरी मे पकडे गये अथवा अन्य किसी प्रकार से विवादित अथवा दुग्ध संघ कर्मी से मारपीट/गाली गलौच अथवा अन्य किसी प्रकार के विवादित अथवा अनुचित चरित्र वाले निविदा दाता का निविदा फार्म निरस्त कर दिया जायेगा।
16. वर्तमान या पूर्व में कार्यरत परिवहनकर्ताओं को संस्था के वित्त/उपार्जन/विपणन अनुभाग से अदेयता प्रमाण पत्र प्राप्त कर निविदा में संलग्न करना अनिवार्य होगा। दिनॉक 31 मार्च 2024 तक संस्था की किसी भी प्रकार की बकाया धनराशि होने अथवा विवादित होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
17. पूर्व परिवहनकर्ता द्वारा अपने अनुभागाध्यक्ष एवं प्रभारी यातायात से संतोषजनक कार्य का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
18. पशुआहार परिवहनकर्ताओं को दुग्ध संघ के मांग के अनुसार पशुचारा (पशुआहार/साईलेज/भूसा/हराचारा बीज) एवं स्टेशनरी/एमटीई आदि का ढुलान दुग्ध संघ चम्पावत एवं अवशीतन केन्द्र टनकपुर, खेतीखान, किमतोली तक करना अनिवार्य होगा, जिसकी चम्पावत दुग्ध संघ तक अधिकतम दर 145.00 रू0 प्रतिकुंटल ,खेतीखान व किमतोली 149.00 रू0 प्रतिकुंटल एवं टनकपुर 80.00 रू0 प्रतिकुंटल देय होगी। परिवहनकर्ता द्वारा पशुआहार अथवा अन्य सामग्री का ढुलान न करने पर संस्था द्वारा अन्य वाहन से पशुआहार एवं अन्य सामग्री भेजी जा सकती है, जिसके व्यय भार की कटौती परिवहनकर्ता से की जायेगी।
19. चोरी करते हुए पाये जाने अथवा स्टॉफ से दुव्यवहार करने पर प्रथम द्रष्टया 5000.00 रूपये की कटौति की जायेगी तथा जमानत राशि जब्त करते हुए वाहन संस्था से प्रथक कर दिया जायेगा तथा सदैव के लिये सम्बन्धित को संस्था की काली सूची मे दर्ज कर दिया जायेगा।
20. परिवहनकर्ता ऑचल पशुआहार के अतिरिक्त अन्य किसी भी फर्म का पशुआहार ढुलान नहीं करेगा।
21. एक या समस्त निविदाओं को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार, बिना कारण बताये संस्था के प्रबन्धक के पास सुरक्षित होगा।
22. प्रत्येक वाहन के लिये चालक की व्यवस्था निविदाता को करनी होगी तथा पूर्ण उसका विवरण संस्था में लिखित देना होगा। चालक को बदलने पर उसकी पूर्व सूचना लिखित में संस्था को देनी होगी।
23. निविदा फार्म में दरों में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग, कटिंग, होने पर दरें पुनः स्पष्ट रूप में हस्ताक्षर सहित लिखी होनी आवश्यक है।
24. निविदादाता को निविदा स्वीकृत होने के उपरान्त निर्धारित समय अवधि के अन्तर्गत अनुबन्ध की औपचारिकतायें पूर्ण करनी होगी तथा जमानत राशि के रूप में पशुआहार कार्यो हेतु वाहन को 50,000.00 (पचास हजार) जमानत राशि जमा करनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

प्रबन्धक
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0
चम्पावत

25. निविदा स्वीकृत हो जाने पर निविदादाता को संस्था के साथ रू0 100.00 (एक सौ) मूल्य के नान–जूडिशियल स्टाम्प पेपर में अनुबन्ध करना होगा।
26. अनुबन्ध समाप्त तिथि से यदि संस्था चाहे तो अधिकतम तीन–तीन माह हेतु दो बार अनुबन्ध अवधि बढ़ाई जा सकती है, जिसे निविदा दाता मानने के लिये बाध्य होगा, अन्यथा जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
27. मार्गों पर लगने वाले समस्त करों जैसे पथ कर, सेतु कर, टौलटेक्स आदि का भुगतान परिवहन कर्ता द्वारा किया जायेगा।
28. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को वाहन निरीक्षण कराने की सूचना दी जायेगी। निविदादाता को निर्धारित तिथि के अन्दर वाहन का निरीक्षण करने हेतु वाहन को दुग्ध संघ कार्यालय में लाना होगा अन्यथा निविदा निरस्त करते हुये अर्नेस्ट मनी जब्त कर दी जायेगी। निविदा में दिये गये वाहन को ही चलाना आवश्यक होगा। विशेष परिस्थितियों में यदि दूसरा वाहन भेजना आवश्यक हो तो परिवहनकर्ता को इसकी सूचना देकर अनुमति लेनी होगी।
29. निविदा स्वीकार होने पर निविदादाता को इस संस्था का नाम मात्रिक सदस्य (हिस्सा पूंजी 200.00 रू0 तथा प्रवेश शुल्क 25.00 रू0 कुल 225.00 रू0 जमाकर) सदस्य बनना होगा।
30. निविदादाता को परिवहन बिल के भुगतान हेतु बैंक खाते का विवरण देना अनिवार्य होगा।
31. संस्था के बकायेदारों की निविदा स्वीकार नही की जायेगी और नही उनके वाहन के प्रपत्रों पर अन्य व्यक्ति की निविदा मान्य होगी।
32. वाहन को जिस कार्य हेतु लगाया जायेगा, उसके अतिरिक्त अन्य बाहरी कार्य परिवहनकर्ता को नही करने होगें।
33. दैवीय आपदा/दुर्धटना होने पर किसी प्रकार का क्लेम संस्था द्वारा देय नही होगा।
34. वाहन खराब होने/दुर्घटनाग्रस्थ होने/अन्य किसी कारण से व्यवधान होने पर निविदादाता को ही वाहन की व्यवस्था करनी होगी। निविदादाता द्वारा वाहन व्यवस्था न करने पर निविदादाता की जगानत राशि जब्त करते हुए संस्था द्वारा वाहन व्यवस्था कर ली जायेगी एवं अतिरिक्त व्ययभार का उत्तरदायित्व निविदादाता का होगा।
35. माह की समाप्ति होने पर परिवहनकर्ता को अधिकतम बीस दिन के अन्दर बिल संस्था में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।अत्यधिक विलम्ब एवं एक साथ कई माहों का बिल प्रस्तुत करने पर किसी भी प्रकार की परिस्थिति के लिये परिवहनकर्ता का उत्तदायित्व होगा।
36. परिवहनकर्ता द्वारा किसी भी स्थिति में अनुबन्ध का उल्लघन करने पर यदि संस्था/समितियों को किसी भी प्रकार की क्षति होती है तो प्रबन्धक दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, चम्पावत को परिवहनकर्ता से संपूर्ण क्षतिपूर्ति करने का अधिकार होगा।
37. निविदाओं का निस्तारण **उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017** के अधीन होगी।
38. निविदा में टैक्निकल बिड की शर्तो को पूर्ण करने के उपरान्त ही फाइनैन्शियल बिड का लिफाफा खोला जायेगा। यह कि निविदा टू–बिड सिस्टम के आधार पर सम्पन्न की जायेगी, निविदादाता को एक लिफाफे में तकनीकी बिड रखी जानी है उसमें तकनीकी बिड लिखा जाये तथा दूसरे लिफाफे में वित्तीय बिड रखकर उस लिफाफे में ऊपर वित्तीय बिड लिखा जाये एवं दोनों लिफाफों को अलग–अलग बन्द कर एक बड़े लिफाफे में पुनः बन्द कर निविदा देनी होगी।

Scanned with OKEN Scanner

दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि०
चम्पावत

नोट–उपरोक्तानुसार क्रम संख्या 01 से 38 तक की शर्तें पढ़कर एवं समझकर सहमत होने पर हस्ताक्षर करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र के साथ अनिवार्य रूप से संलग्न करें।

निविदादाता की घोषणा

उक्त शर्तों को मैंने भली–भांति पढ़ एवं समझ लिया है, मैं सभी शर्तों को समझने के पश्चात् ही निविदा डाल रहा हूँ, जो कि मुझे स्वीकार है।

हस्ताक्षर
निविदादाता

Scanned with OKEN Scanner